रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1983 (ज्येष्ठ 28, 1905)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1983 (JYAISTHA 28, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3
[PART III—SECTION 3]

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Minor Administrations]

"संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली"

प्रशासन,

दादरा एवं नगर हवेली,

अधिसूचना सं० प्रशा०/रा० विभा०/उ० सम० भू० सू०/1936 ।

सिलवासा, दिनांक 21 दिसम्बर, 1982

दादरा एवं नगर हवेली, भूमि-सुधार विनियम, 1971 एवं धारा–22 के अन्तर्गत जिन गावों के स्थिति भूखण्ड आते हैं उनके सम्बन्ध में जांच का संचालन किया गया तथा तब उस समय ध्यान में आया कि 1170 से० मी० ज्यादा व्यक्ति घर से स्थिति भूखण्डों के बहुत से गांवों में रहते हैं परन्तु उनके पास कोई प्रमाणित अभिलेख या साक्ष्य मौजूद नहीं हैं कि क्या वह इन भू-खण्डों पर पट्टाधारी के रूप में या अलवारा या शर्तीय पट्टा पर 1–5–74 के तहद हक रखते हैं परन्तु एक ही प्रमाण/संकेत इनकी घर टैक्स भुगतान रसीद में मौजूद हैं । उसी तरह सरकार के पास से भी कोई अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है । वस्तुतः यह सर्वेक्षण कार्य बहुत से गांवों के स्थिति भूखण्डों के कुछ गांवों को छोड़कर संघ प्रदेश के दूर-दूर के सर्वेक्षण कार्य उन्मंत किया गया था जब कुछ समय 1961 से 1964 के भीतर संचालन किया गया था । इस का परिणाम यह रहा कि बहुत से (पट्टाधारक) घर स्थिति भूखण्डों के पट्टाधारक यह नहीं जानते थे कि क्या हमारे सही क्षेत्र पर कब्जा किया है और बहुतों ने बिना सही सर्वेक्षण के बगैर सरकार को यह सम्भव नहीं था कि जो कृषक भूमिहीन निर्धारित उपबन्धों के अन्तर्गत दादरा एवं नगर हवेली, भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के तहद वास्तव में सर्वेक्षण कार्य करना नितांत आवश्यक है इन विचारों एवं असलियत से वखलभोगा धिकार का हक कैसी भूमि के संदर्भ के अनुसरण में इस क्षेत्र को स्वीकृति दी जाती है ।

और साथ में यह भी देखने में आया है कि जिस समय सामान्य भूमि का सर्वेक्षण इस प्रदेश में स्थित गांवों के अन्तर्गत 1961 से 1964 के भीतर उन्मंत किया गया था अथवा कोई सवक्षण फीस नहीं ली जाती थी । कुछ स्थित गांवों के भूखण्डों में सर्वेक्षण नहीं किया गया था । वास्तव में सही पूर्णरूप से सर्वेक्षण गांव में स्थित भूखण्डों के सभी गांवों में उस समय कर दिया था और उनमें से कुछ गांव हैं, दादरा एवं नगर हवेली का भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के तहद पट्टाधारक को सर्वेक्षण कार्य मुक्त किया जाये परन्तु यदि घर स्थिति भूखण्डों में बहुत से सर्वेक्षण किया

गया है तो कोई सर्वेक्षण फीस नहीं ली जायेगी और न ही वसूल की जायेगी और विशेषत: इस नये राजस्व सर्वेक्षण में सभी अनुसूचित जति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही इस दायरे में आते हैं ।

अभी यहां पर सवाल यह है कि इनके विचारों के साथ निर्धारण एवं बन्दोवस्त भूमि-राजस्व एवं अभिलेखवाद की उपायवादी उपायबन्दी अधिकार उनके सम्बन्धित हैं । प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली, अपनी प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, धारा-110 दादरा एवं नगर हवेली, भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 के तहद सीधे यह कहा गया है कि राजस्व सर्वेक्षण कार्य को किसी भी गांव के स्थिति भूखण्डों हों एवं जो गांव संघ शासित प्रदेश के अन्दर या भीतर आते हों इस विनियम को और आगे बढ़ाते हैं ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली, ने पैरा-2 एवं धारा–120 विनियम के लिहाज से गांवों की अबादी को देखते हुए उपर्युक्त परन्तुक के अनुसरण में सही रूप से स्पष्ट किया गया है कि जो सर्वेक्षण करने की फीस जो ली जाती थी उस खर्च से विमुक्त करने की स्वीकृति देते हैं । और साथ में आगे यह भी कहा गया कि कब्जे का सही हक गांवों के भूखण्डों पर तभी होगा जब सर्वेक्षण कार्य नये सिरे से शुरू किया जायेगा तब सम्बन्धित व्यक्तियों को बिना खर्च से हक दिया जायेगा । और जो मूल्य सही निश्चित निर्धारित होगा जो कि गांव के स्थिति भूखण्डों पर घर से सम्बन्धित प्रयोग के लिए 1–5–74 के अनुसरण में माना जायेगा ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली, ने साथ में आगे यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस किसी भी शर्त से दोषी ठहराया गया तो उसके घर से सम्बन्धित क्षेत्र जो 1–5–74 से पहले संस्थापित कब्जे का अधिकार रखता होगा बराबर घर से सम्बन्धित पट्टाधारक को मूल्य वेतनमान रुपए 1/- के हिसाब से बिना किसी शर्त से स्वीकृत किया जायेगा ।

प्रशासक के आदेशानुसार,

डा० एन० के० राय
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा

पंजीकार सहकारी समिति के द्वारा

दादरा एवं नगर हवेली

सिलवासा, दिनांक 22 अप्रैल, 1983

सं० सहक०/ए० बी० एन०/आर० एन०/2964—गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 जिसका विस्तार इस संघशासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली तक है की धारा 98 (1) के अन्तर्गत साथ में नियम 39 पढ़ें एवं सहकारी समिति नियम, 1966 के एतद्द्वारा "सहायक पंजीकार सहकारी समिति, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के नीचे लिखे मनोनीत व्यक्तियों को दिये हुये कार्यों पर किसी भी अद्भुतसहकारी समिति के उल्लिखित क्षेत्र के भीतर उसके नाम के सामने सहकारी वर्ष 1982–83 और अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

क्र० सं०	नाम और पदनाम	पता	कार्यभार
1.	श्री रशमीकान्त शकरलाल, कापड़िया बी० काम० एल० एल० बी० वकील ।	मोटा बाजार वलसाड़	संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के क्षेत्राधिकार तक ।
2.	कुमारी गीता ए० पटेल बी० काम० एल० एल० बी० वकील ।	रत्नाबाड़ी किला बाएड़ी	—— यही

ह० अपठनीय
सहायक पंजीकार
सहकारी समिति
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा

प्रपत्र "सी"

(प्रारम्भिक अधिसूचना)

प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास, भूमि–अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1)

सिलवासा, दिनांक 3 जून 1983

ग्राम : कराड

संख्या : एल० एक्यू/डी० सी० डब्ल्यू/एनएच/236/82

प्रशासन संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् :—

दमनगंगा परियोजना के लिए हो रहे 1 आर माईनर एक्स डी० एल० बी० एम० सी० का निर्माण के लिए आवश्यक है ।

भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1) की धारा–4 के उपबन्धों के तहत, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवत: आवश्यक है ।

उक्त भूमि में रुचि रखनेवाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त अर्जन के लिए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें ।

विक्रय, पट्टा गिरवी सौंपना, विनिमय अथवा किसी भी तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई सुधारों की ही संविदा, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा–24 (सातवींबार) के तहत, उक्त भूमि के प्रतिकार को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अंतत: उक्त भूमि को अर्जित किया जाता है ।

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा-6 के तहत, भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए, यथा समय दे दी जायेगी। यदि अर्जन का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य-भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के अन्तर्गत समाहर्ता के कार्य करने के लिए, प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–3 के खण्ड (ग) के तहत, वलसाड में, दादरा एवं नगर हवेली के भूमि-अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू०) की नियुक्ति करता है।

अनुसूची

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के जिस ग्राम में भूमि स्थित है	सर्वेक्षण संख्या तथा हिस्सा संख्या	आवश्यक भूमि का लगभग क्षेत्रफल हेक्टर आरे चौ०मिटर
सायली	460	0–03–00
	463/2	0–02–00
	463/3	0–01–00
	463/4	0–00–32

प्रशासक के आदेशानुसार
एन० के० राय
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा

ह०/
(भूमि अर्जन अधिकारी)
डी० सी० डब्ल्यू०
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा,
वलसाड में।

प्रपत्र "सी"

(प्रारम्भिक अधिसूचना)

प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास

भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1)

सिलवास, दिनांक 3 जून 1983

ग्राम : दपाड़ा

संख्या : एलएक्यू/डीसीडब्ल्यू/एनएच/180/82

प्रशासन संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात :—

दमनगंगा परियोजना के लिए हो रहे लघु दपाड़ा नहर निमार्ज के लिए आवश्यक है।

भूमि–अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1) की धारा–4 के उपबन्धों के तहत, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवतः आवश्यक है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त अर्जन के लिए नियुक्ति व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें।

विक्रय, पट्टा गिरवी सौंपना, विनिमय अथवा किसी भी तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई सुधारों की ही संविदा, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा-24 (सातवींबार) के तहत, उक्त भूमि के प्रतिकार को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अंततः उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है।

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक हैं तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा–6 के तहत, भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए, यथा समय दे दी जायेगी। यदि अर्जन का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य–भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के अन्तर्गत समाहर्ता के कार्य करने के लिए, प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–3 के खण्ड (ग) के तहत, वलसाड में, दादरा एवं नगर हवेली के भूमि-अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू०) की नियुक्ति करता है।

अनुसूची

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के जिस ग्राम में भूमि स्थित है	सर्वेक्षण संख्या तथा हिस्सा संख्या	आवश्यक भूमि का लगभग क्षेत्रफल हैक्टर आरे चौ० मिटर
दपाड़ा	179	0–10–00
	180	0–10–00
		0–01–00 पी० के०

प्रशासक के आदेशानुसार
एन० के० राय
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा।

ह०/
भूमि-अर्जन अधिकारी,
डी. सी. डब्ल्यू.
दादरा एवं नगर हवेली,, सिलवासा वलसाड

केस सं० 200/82

प्रपत्र "सी"

(प्रारम्भिक अधिसूचना)

प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास

भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1)

सिलवास, दिनांक 3 जून 1983

ग्राम : सामखरणी

संख्या : एलएक्यू/डीसीडब्ल्यू/एन एच/200/82

प्रशासन संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात :—

2. आर. सबमाईनर एक्स-1. एल माईनर दमणगंगा परियोजना के लिये आवश्यक है।

भूमि–अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या–1) की धारा–4 के उपबन्धों के तहत, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवतः आवश्यक है।

उक्त भूमि में रुचि रखनेवाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त अर्जन के किए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें।

विक्रय, पट्टा गिरवी सौंपना, विनिमय अथवा किसी भी तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई सुधारों की ही संविदा, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा–24 (सातवींवार) के तहत, उक्त भूमि के प्रतिकार को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अंततः उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है।

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक हैं तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा-6 के तहत, भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए, यथा समय दे दी जायेगी। यदि अर्जन का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य-भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के अन्तर्गत समाहर्ता के कार्य करने के लिए, प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, भूमि–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–3 के खण्ड (ग) के तहत, वलसाड में, दादरा एवं नगर हवेली के भूमि-अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू०) की नियुक्ति करता है।

अनुसूची

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के जिस ग्राम में भूमि स्थित है	सर्वेक्षण संख्या तथा हिस्सा संख्या	आवश्यक भूमि का लगभग क्षेत्रफल हैक्टर	आरे	चौ० मिटर
सामरवरणी	229/4	0	08	00
	233	0	21	00

हु०/-
(भूमि–अर्जन अधिकारी)
डी० सी० डब्ल्यू०
दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा,
वलसाड

प्रशासक के आदेशानुसार
एन० के० राय
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा

केस सं० 202/82

प्रपत्र "सी"

(प्रारम्भिक अधिसूचना)

प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली,

सिलवास, दिनांक 3 जून 1983

भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या-1)

ग्राम : अथोला

संख्या : एल० ए० क्यू०/डी० सी० डब्ल्यू०/एन० एच०/202/82—प्रशासन संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्:—आर० 1/5 सबमाइनर एक्स०, डी०, आर०, बी० एम० सी० दमनगंगा परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की संख्या-1) की धारा-4 के उपबन्धों के तहत, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवतः आवश्यक है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त अर्जन् के लिए नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें।

विक्रय, पट्टा गिरवी सौंपना, विनिमय अथवा किसी भी तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें कोई सुधारों की ही संविदा, इस अधिसूचना की तारीख के बाद बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा-24 (सातवीं बार) के तहत, उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अंततः उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है।

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा-6 के तहत, भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए, यथा समय दे दी जायेगी। यदि अर्जन् का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी

भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य-भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के अन्तर्गत समाहर्ता के कार्य करने के लिए, प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-3 के खण्ड (ग) के तहत, वलसाड़ में दादरा एवं नगर हवेली के भूमि-अर्जन अधिकारी (डी. सी. डब्ल्यू.) की नियुक्ति करता है।

अनुसूची

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के जिस ग्राम में भूमि स्थित है	सर्वेक्षण संख्या तथा हिस्सा संख्या	आवश्यक भूमि का लगभग क्षेत्रफल हैक्टर आरे चौ०मिटर
(1)	(2)	(3)
घघोला	208	0—03—00
	209/2	0—02—00
	209/5	0—01—00
	234	0—03—00
	235	0—03—00
	250	0—02—00
	251	0—04—00
	252/1 पक्की	0—01—00

प्रशासक के आदेशानुसार
एन० के० सिंह
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवास

ह०/-
भूमि अर्जन अधिनियम अधिकारी,
डी० सी० डब्ल्यू०
दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास
वलसाड़ में

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI

ADMINISTRATION OF
DADRA AND NAGAR HAVELI,

Silvassa, the 21st December 1982

No. ADM/RD/DC(LR), 1936.—During the course of conducting inquiries under Section 22 of the Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 in connection with the grant of O. R. for village site plots, it has been noticed that as many as 1170 persons who hold house-site plots in various villages, do not hold any records to prove that they are holding these plots either on Alwara or Teram leases prior to 1-5-74. The only proof/evidence available with them is the receipts of payment of house Tax. Similarly, on Govt. side also there is nothing on records to establish the same as the Survey works for most of village-site plots barring few villages have not been carried out when the survey of the entire Territory was conducted sometime between 1961 to 1964. As a result of of this, most of holders of house-site plots do not know the exact areas occupied by them. Moreover, without such survey, it has not been possible for the Govt. to recover non-Agricultural Assessment under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971. Moreover, such survey is absolutely necessary in view of the fact that the O. R. could be granted for any land only with reference to its areas.

(ii) It is also seen that at the time of carrying out general Survey of lands including village-sites of this Territory in between 1961 to 1964, no survey fees was levied. Some village-site plots were not surveyed. In fact complete survey of village-site plots of all the villages should have been done at that time as was done in case of few villages. The Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 provide for levy of survey fee but, if the house-site plots should have been surveyed earlier, no survey fees should have been levied and recovered and that the almost all ST/SC people are involved under new Revenue survey.

Now, therefore, with a view to assessment and settlement of land revenue and to the recording and preservation of rights connected therewith, the Administrator, Dadra and Nagar Haveli, in exercise of the powers vested in him U/S 73 read with Section 119 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 hereby directs that Revenue survey be extended within the village-site lands in any of the villages of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

The Administrator, Dadra and Nagar Haveli, in pursuance of facts explained in para (ii) above is also pleased to grant exemption from the payment of survey fees chargable under section 120 of the Regulation irrespective of the population of villages to be surveyed and also further directs that the O. R. of such village-site plots, after conducting new survey, shall be granted to the concerned persons without payment of occupancy price who are found to be in possession of such village-site plots being used for residential purpose on or before 1-5-74 positively.

The Administrator, Dadra and Nagar Haveli, is also further pleased to direct that in case if any persons fails to prove or establish his possession of house-site prior to 1-5-74, the O. R. of same house-site may be granted on payment of taken occupancy price of Rs. 1/- (one only) with other usual terms and conditions.

By Order of the Administrator.
DR. N. K. RCY
Secretary to the Administrator,
Dadra and Nagar Haveli,
Silvassa.

Silvassa, the 21st December 1982

No. ADM/RD/DC(LR), 1936.—During the course of conducting inquiries under Section 22 of the Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 in connection with the grant of O. R. for village site plots, it has been noticed that as many as 1170 persons who hold house-site plots in various villages, do not hold any records to prove that they are holding these plots either on Alwara or Teram leases prior to 1-5-74. The only proof/evidence available with them is the receipts of payment of house Tax. Similarly, on Govt. side also there is nothing on records to establish the same as the Survey works for most of village-site plots barring few villages have not been

carried out when the survey of the entire Territory was conducted sometime between 1961 to 1964. As a result of of this, most of holders of house-site plots do not know the exact areas occupied by them. Moreover, without such survey, it has not been possible for the Govt. to recover non-Agricultural Assessment under the provisions of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971. Moreover, such survey is absolutely necessary in view of the fact that the O. R. could be granted for any land only with reference to its areas.

(ii) It is also seen that at the time of carrying out general Survey of lands including village-sites of this Territory in between 1961 to 1964, no survey fees was levied. Some village-site plots were not surveyed. In fact complete survey of village-site plots of all the villages should have been done at that time as was done in case of few villages. The Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 provide for levy of survey fee but, if the house-site plots should have been surveyed earlier, no survey fees should have been levied and recovered and that the almost all ST/SC people are involved under new Revenue survey.

Now, therefore, with a view to assessment and settlement of land revenue and to the recording and preservation of rights connected therewith, the Administrator, Dadra and Nagar Haveli, in exercise of the powers vested in him U/S 73 read with Section 119 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 hereby directs that Revenue survey be Extended within the village-site lands in any of the villages of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

The Administrator, Dadra and Nagar Haveli, in pursuance of facts explained in para (ii) above is also pleased to grant exemption from the payment of survey fees chargable under section 120 of the Regulation irrespective of the population of the villages to be surveyed and also further directs that the O. R. of such village-site plots, after conducting new survey, shall be granted to the concerned persons without payment of occupancy price who are found to be in possession of such village-site plots being used for residential purpose on or before 1-5-74 positively.

The Administrator, Dadra and Nagar Haveli, is also further pleased to direct that in case if any persons fails to prove or establish his possession of house-site prior to 1-5-74, the O. R. of same house-site may be granted on payment of token occupancy price of Rs. 1/- (one only) with other usual terms and conditions.

By Order of the Administrator,
DR. N. K. ROY
Secretary to the Administrator,
Dadra and Nagar Haveli,
Silvassa.

BY THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES, DADRA AND NAGAR HAVELI

Silvassa, the 22nd April 1983

No. Coop/AEN/HN/2964.—Under the provision of section 98 (1) of the Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 as has been extended to this territory of the Dadra & Nagar Haveli read with Rule 39 of the Cooperative Societies Rule, 1966, the Astt. Registrar, of Cooperative Societies, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa hereby nominate the persons shown to perform the duties arising in any of the Coopertative Societies within the area specified against their name of the Cooperative Year 1983-84 and or till further order :—

Sl. No.	Name & Designation	Address	Charge
1.	Shri Rashmikant Sakarlal Kapadia. B. Com. L.L.B. Advocate	Mota Bazar, Valsad	D. & N.H. Jurisdiction of Union Territory.
2.	Miss Mita A. Patil B. Com. L.L.B. Advocate.	Ratanwadi, Killa Barda.	-Do-

Sd/. Illegible
Assistant Registrar,
Cooperative Societies,
Dadra and Nagar Haveli,
Silvassa.

Case No. 236/83

FORM 'C'

(Preliminary Notification.)

Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.

Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)

Village : SAILY

No. : LAQ/DCW/NH/236/82

Silvassa, the 3rd June 1983

Whereas it appears to the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified in the schedule hereto are likely to be needed for a public purpose viz for Constructing 1 R Minor Ex D.L.B.M.C. for Damanganga Project.

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act 1894 (1 of 1894), that the said lands are likely to be needed for the purpose specified above.

All persons interested in the said lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said lands for the purpose of the said acquisition Any contracts for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage, assignment, exchange, or otherwise or any outlay or improvements made therein without the sanction of the Collector after the date of this notification will under section 24 (seventhly) of the said Act, be disregarded by the officer assessing compensation for such part of the said lands as may be finally acquired

If the Administration of the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the aforesaid purpose, a final notification to that effect under section 6 of the said Act will be published in the Gazette of India Government in due course. If the acquisition is abandoned, wholly or in part, the fact will be duly notified in the Gazette of India Government.

Under clause (c) of section 3 of the Land Acquisition Act 1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under section 5-A of said Act, in respect of the said lands.

SCHEDULE

Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, Village in which land is situated.	Survey No. and Hissa. No.	Approximate area of land required. H	A.	S.M.
1	2	3		
SAILY	460	0-03-00		
	463/2	0-02-00		
	463/3	0-01-00		
	463/4	0-00-32		

By order and in the Name of the Administrator
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
N. K. ROY
Secretary to the Administrator, Union Territory
of Dadra and Nagar Haveli

Land Acquisition Officer,
Damanganga Canal Works,
Dadra & Nagar Haveli-Silvassa
at, Valsad.

CASE NO. 180/82

FORM 'C'

(Preliminary Notification.)

Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.

Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)

Village : DAPADA

No. LAQ/DCW/NH/180/82

Silvasa, the 3rd June 1983

Whereas it appears to the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified

in the schedule hereto are likely to be needed for a public purpose viz for Constructing of Canal Dapada Minor for Damanganga Project.

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act 1894 (1 of 1894), that the said lands are likely to be needed for the purpose specified above.

All persons interested in the said lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said lands for the purpose of the said acquisition Any contracts for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage, assignment, exchange, or otherwise or any outlay or improvements made therein without the sanction of the Collector after the date of this notification will under section 24 (seventhly) of the said Act, be disregarded by the officer assessing compensation for such part of the said lands as may be finally acquired.

If the Administration of the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the aforesaid purpose, a final notification to that effect under section 6 of the said Act will be published in the Gazette of India Government in due course. If the acquisition is abandoned, wholly or in part, the fact will be duly notified in the Gazette of India Government.

Under clause (c) of section 3 of the Land Acquisition Act 1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under section 5-A of said Act, in respect of the said lands.

SCHEDULE

Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, Village in which land is situated.	Survey No. and Hissa. No.	Approximate area of land required.		
		H.	A.	S.M.
1	2	3		
DAPADA	179	0-10-00		
	180	0-10-00		
		0-01-00 P.K.		

By order and in the Name of the Administrator Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

N. K. ROY

Secretary to the Administrator, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

Land Acquisition Officer,
Damanganga Canal Works,
Dadra & Nagar Haveli-Silvassa
at, Valsad.

CASE NO. 200/882
FORM 'C'

(Preliminary Notification)

Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.

Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)

Village : SAMARVARNI

No. LAQ/DCW/Case No. NH. 200/82

Silvassa, the 3rd June 1983

Whereas it appears to the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified in the schedule hereto are likely to be needed for a public purpose viz for 2 R Subminor Ex 1 L Minor for Damanganga Project.

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act 1894 (1 of 1894), that the said lands are likely to be needed for the purpose specified above.

All persons interested in the said lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said lands for the purpose of the said acquisition Any contracts for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage, assignment, exchange, or otherwise or any outlay or improvements made therein without the sanction of the Collector after the date of this notification will under section 24 (seventhly) of the said Act, be disregarded by the officer assessing compensation for such part of the said lands as may be finally acquired.

If the Administration of the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the aforesaid purpose, a final notification to that effect under section 6 of the said Act will be published in the Gazette of India Government in due course. If the acquisition is abandoned, wholly or in part, the fact will be duly notified in the Gazette of India Government.

Under clause (c) of section 3 of the Land Acquisition Act 1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under section 5-A of said Act, in respect of the said lands.

SCHEDULE

Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, Village in which land is situated.	Survey No. and Hissa. No.	Approximate area of land required.		
		H.	A.	S.M.
1	2	3		
SAMARVARNI	229/4	0-08-00		
	233	0-21-00		

By order and in the Name of the Administrator Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

N. K. ROY

Secretary to the Administrator, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

Land Acquisition Officer,
Damanganga Canal Works,
Dadra & Nagar Haveli-Silvassa
at, Valsad.

CASE NO. 202/82
FORM 'C'

(Preliminary Notification)

Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.

Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)

Village : ATHOLA

No. LAQ/DCW/NH/202/82

Silvassa, the 3rd June 1983

Whereas it appears to the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified in the schedule hereto are likely to be needed for a public purpose viz for Constructing R 1/5 Subminor Ex D.R.B.M.C. for Damanganga Project.

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act 1894 (1 of 1894), that the said lands are likely to be needed for the purpose specified above.

All persons interested in the said lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said lands for the purpose of the said acquisition Any contracts for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage, assignment, exchange, or otherwise or any outlay or improvements made therein without the sanction of the Collector after the date of this notification will under section 24 (seventhly) of the said Act, be disregarded by the officer assessing compensation for such part of the said lands as may be finally acquired.

If the Administration of the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for the aforesaid purpose, a final notification to that effect under section 6 of the said Act will be published in the Gazette of India Government in due course. If the acquisition is abandoned, wholly or in part, the fact will be duly notified in the Gazette of India Government.

Under clause (c) of section 3 of the Land Acquisition Act 1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION OFFICER (Damanganga Canal Works) Dadra and Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector under section 5-A of said Act, in respect of the said lands.

SCHEDULE

Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, Village in which land is situated	Survey No. and Hissa. No.	Approximate area of land required.		
		H.	A.	S.M.
1	2	3		
ATHOLA	208	0-03-00		
	209/2	0-02-00		
	209/5	0-01-00		
	234	0-03-00		
	235	0-03-00		
	250	0-02-00		
	251	0-04-01		
	252/1 Paiki	0-01-00		

By order and in the Name of the Administrator Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

N. K. ROY
Secretary to the Administrator, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

Land Acquisition Officer,
Damanganga Canal Works,
Dadra & Nagar Haveli-Silvassa
at, Valsad.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983